

परिशिष्ट "इ"
[अनुसूची I का पैरा 4(2) देखें.]

जीडीआर /एडीआर निर्गम की व्यवस्था करने वाली
भारतीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणी

अनुदेश :

फार्म भरकर भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए ।

1. कंपनी का नाम :
2. पंजीकृत कार्यालय का पता :
3. पत्र व्यवहार का पता :
4. विद्यमान कारोबार)कंपनी प्रमुखतः :
जिस गतिविधि में सन्नद्ध है उसका
(एनआईसी कूट)
5. प्रयोजन के लिए ब्योरे जिसके लिए :
एडीआर/जीडीआर की वृद्धि हुई है।
यदि विधियाँ विदेशी निदेश के लिए
अभिनियोजित की थी तो उसके ब्योरे
6. विदेशी जमाकर्ता का नाम और पता :
7. निवेश का प्रमुख / प्रबंधक / मर्चेट :
बैंकर का नाम और पता

8. निर्गम के उप-प्रबंधक का नाम और पता :
9. भारतीय कस्टोडियन का नाम और पता :
10. एफआईपीबी अनुमोदन के ब्योरे (कृपया संबंधित एनआईसी कूट को उद्धृत करें यदि जीडीआर स्वचालित मार्ग के अतर्गत जारी किये गये हों) :
11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र सीमा (सेक्टरल कैप) लागू है, यदि हां, तो कृपया ब्योरे दें :
12. ईक्विटी पूंजी के ब्योरे : निर्गम से पूर्व निर्गम के बाद
- (क) प्राधिकृत पूंजी
- (ख) निर्गमित और प्रदत्त पूंजी
- (i) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा धारित
- (ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों /अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी कंपनी निकायों के अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक और उनके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों की संख्यावाले विदेशी निवेशकों सूची प्रस्तुत की जाए)
- (iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्ति/ :
- (iv) विदेशी संसाधन निवेशक द्वारा धारित :
- (ग) कुल प्रदत्त पूंजी का अनिवासियों द्वारा धारित इक्विटी का प्रतिशत

13. क्या निर्गम निजी नियोजन आधार पर था? :
यदि हाँ, तो निवेशकों के और उनमें से प्रत्येक को जारी किये गये एडीआर/जीडीआर के ब्यौरे दें।
14. जारी किये गये जीडीआर /एडीआर की :
संख्या
15. आधारभूत शेयर के एडीआर / जीडीआर :
का प्रतिशत